बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–236/2026 1385/ई0आ0 पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक, ईख विकास,
महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–239 स्वी०/सी.सी. दिनांक–08.07.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः– यथोक्त :

विश्वासभाजन
30/7/2026
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–236/2026– 1385/ई0आ0 पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/2026
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–236/2026– 1385/ई0आ0 पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविघालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/7/2026
ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–236/2026– 1385/ई0आ0 पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–236/2026– 1385/ई0आ0 पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/2026

ईखायुक्त,
बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत

बीज विकास योजना

वित्तीय वर्ष 2026-27

मार्गदर्शिका

Scanned with OKEN Scanner

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	पृष्ठभूमि	1
2.	योजना का उद्देश्य	1
3.	योजना के अधीन पात्रता	1
4.	पोर्टल पर स्टॉक संधारण	2-3
5.	ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया	3-5
6.	आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया	6-11
7.	अनुदान/प्रोत्साहन दर	11
8.	अवयवार अनुदेश	11-13
9.	समय–सारणी	13
10.	पदेन कर्त्तव्य एवं दायित्व	13-15
11.	योजना का स्वीकृत्यादेश	16-22

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

1. पृष्ठभूमि –

सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–2 "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" के तहत वर्तमान में कार्यरत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना के दृष्टिगत गन्ना की पर्याप्त उपलब्धता हेतु राज्य में उन्नत प्रभेद के गुणवत्तायुक्त गन्ना बीज की उपलब्धता आवश्यक है। इससे राज्य के गन्ना किसानों को उत्तम किस्म के स्वस्थ एवं रोगमुक्त गन्ना बीज मुहैया हो सकेगा तथा गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता एवं रिकवरी प्रतिशत में भी वृद्धि होगा। अतएव उपरोक्त उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु इस योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार वित्त संशोधित नियमावली एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन करते हुए इस योजना का कार्यान्वयन करेंगे।

2. योजना का उद्देश्य–

2.1 किसानों के बीच उन्नत, रोगमुक्त एवं चिन्हित गन्ना प्रभेदों के बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा गन्ने के उत्पादन, उत्पादकता एवं चीनी रिकवरी प्रतिशत में वृद्धि लाना,

2.2 त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम (प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज) के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देना,

2.3 प्रमाणित/सत्यापित बीजों के उपयोग को बढ़ावा देकर बीज विस्थापन दर में वृद्धि लाना,

2.4 सिंगल बड विधि से गन्ना रोपाई को प्रोत्साहित कर कम लागत में अधिक क्षेत्रफल में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना,

3. योजना के अधीन पात्रता–

3.1 योजना के तहत अवयवार पात्र संस्थान/कृषक का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	अवयव	पात्र संस्थान/कृषक
1	न्यूक्लियस/ प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन	ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर)/ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
2	आधार गन्ना बीज उत्पादन	राज्य में कार्यरत चीनी मिल, किसान एवं कृषि विज्ञान केन्द्र
3	प्रमाणित गन्ना बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन	राज्य में कार्यरत चीनी मिल एवं गन्ना बीज उत्पादक कृषक
4	प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज एवं सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) वितरण	व्यक्तिगत किसान

30/1/2026

Scanned with OKEN Scanner

3.2 योजना का लाभ रैयत एवं गैर रैयत किसानों को देय होगा।

3.3 इस योजना का लाभ प्रत्येक किसान को **न्यूनतम 0.25 एकड़ से अधिकतम 05 (पाँच) एकड़ (02 हेक्टेयर)** तक के लिए देय होगा। जबकि अनुसंधान संस्थान, चीनी मिल एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

3.4 एक किसान किसी एक अवयव (प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज या सिंगल बड प्लान्लेटस) का ही लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगें। जबकि आधार बीज उत्पादन एवं प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन अवयव अंतर्गत यह बंधेज नहीं होगा।

3.5 विभाग द्वारा योजनांतर्गत प्रोत्साहन/अनुदान के लाभ हेतु कुल 16 गन्ने प्रभेद यथा–CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, Bo-153, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466 एवं CoLK-16470 अनुशंसित की गई है। यह सूची यथासंशोधित होने पर स्वतः प्रभावी होगा।

3.6 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. पोर्टल पर स्टॉक संधारण –

4.1 प्रजनक गन्ना बीज–

(i) ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर) एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के द्वारा प्रजनक गन्ना बीज का स्टॉक संधारण उन्हें उपलब्ध लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर किया जायेगा।

(ii) संस्थान के द्वारा बुआई का रकवा, प्रभेद, बुआई की तिथि, फार्म का पता, अनुमानित उपज को अंकित किया जायेगा।

4.2 आधार गन्ना बीज–

(i) चीनी मिल द्वारा उत्पादित आधार गन्ना बीज का स्टॉक संधारण संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा उन्हें उपलब्ध लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर किया जायेगा।

(ii) किसान/कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा उत्पादित आधार गन्ना बीज का स्टॉक संधारण संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा अपने लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर किया जायेगा।

30/7/2024

Scanned with OKEN Scanner

(iii) बीज उत्पादक का विवरण, बुआई का रकवा, प्रभेद, फार्म/खेत का पता, अनुमानित उपज एवं LIR (Last Inspection Report) number (बसोका द्वारा निर्गत) को अंकित किया जायेगा।

(iv) अंकित किये गये विवरण को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अंतिम रूप से सम्पुष्ट किया जायेगा।

4.3 <u>प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज –</u>

(i) प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज का स्टॉक संधारण चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जायेगा।

(ii) बीज उत्पादक का विवरण, बुआई का रकवा, प्रभेद, फार्म/खेत का पता, अनुमानित उपज अंकित किया जायेगा।

(iii) प्रमाणित गन्ना बीज हेतु LIR (Last Inspection Report) number (बसोका द्वारा निर्गत) को अंकित किया जायेगा।

(iv) स्वस्थ एवं रोगमुक्त गन्ना को बीज के रूप में व्यवहार करने हेतु बीज योग्य गन्ना खेत का चयन संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, चीनी मिल के महाप्रबंधक एवं सहायक निदेशक, ईख विकास के संयुक्त टीम के द्वारा किया जायेगा।

(v) सत्यापित बीज के संधारण हेतु संयुक्त टीम के जांच प्रतिवेदन का निर्गत संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

(vi) अंकित किये गये विवरण को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अंतिम रूप से सम्पुष्ट किया जायेगा।

4.4 <u>सिंगल बड प्लान्टलेट्स –</u>

(i) सिंगल बड प्लान्टलेट्स का स्टॉक संधारण चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जायेगा।

(ii) प्लान्टलेट्स उत्पादक का विवरण, प्लान्टलेट्स की संख्या, प्रभेद, नर्सरी का पता अंकित किया जायेगा।

(iii) अंकित किये गये विवरण को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अंतिम रूप से सम्पुष्ट किया जायेगा।

30/7/2024

Scanned with OKEN Scanner

5. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया –

5.1 इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय केन केयर पोर्टल https://ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।

5.2 आवेदन करने हेतु केन केयर पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

5.3 केन केयर पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध बीज विकास योजना टैब पर क्लिक करने पर प्रदर्शित अवयवों में से आवेदन वाले अवयव का चयन किया जायेगा।

5.4 किसानों के द्वारा गन्ना आई. डी. का उपयोग कर आवेदन किया जायेगा।

5.5 13 अंको का डी॰बी॰टी॰ आई॰डी॰ के सहायता से केन केयर पोर्टल पर गन्ना पंजीकरण कर गन्ना आई. डी. प्राप्त किया जा सकता है।

5.6 अवयववार आवेदन की विधि –

5.6.1 आधार बीज उत्पादन–

(i) सर्वप्रथम आधार बीज उत्पादन टैब पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा।

(ii) आवेदक द्वारा ड्रॉप डाउन मेनू में श्रेणी चयन हेतु प्रदर्शित विकल्पों– चीनी मिल/किसान/ कृषि विज्ञान केन्द्र में से संबंधित विकल्प का चयन किया जायेगा।

(iii) चीनी मिल एवं कृषि विज्ञान केन्द्र का चयन करने पर अगली ड्रॉपडाउन मेनू में प्रदर्शित सूची में से संबंधित चीनी मिल अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र का चयन किया जायेगा।

(iv) किसान का विकल्प चुनने पर गन्ना आई. डी. को अंकित करना अनिवार्य होगा।

(v) इसके बाद भूमि का विवरण जैसे फार्म का प्रकार (स्वंय/लीज), क्षेत्रफल, फार्म/खेत का पता तथा गन्ने का प्रभेद दर्ज किया जायेगा।

(vi) रैयत के लिए भूमि का दस्तावेज के रूप में जमाबंदी/लगान रसीद/भूमि–स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC)/वंशावली (इनमें से कोई एक) आवेदक के पास होना आवश्यक होगा। गैर रैयत के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्व–घोषणा पत्र भरकर अपलोड किया जायेगा।

(vii) प्रजनक बीज की आपूर्ति हेतु उपलब्धता के आधार पर बीज का मात्रा एवं बीज स्रोत प्रदर्शित होगा, जिसमें से अपने आवश्यकतानुसार प्रभेद, मात्रा एवं स्रोत दर्ज किया जायेगा।

(viii) आवेदन प्रपत्र में सभी जानकारी की प्रविष्टि एवं वांछित अभिलेख को अपलोड करने के पश्चात् SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को SMS के माध्यम से उनके मोबाईल संख्या पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी। तत्पश्चात् आवेदन स्वतः संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

5.6.2 प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज वितरण–

(i) सर्वप्रथम प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज वितरण टैब पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा।

(ii) आवेदन प्रपत्र में गन्ना आई. डी. को अंकित कर SUBMIT बटन पर क्लिक करने पर निबंधित मोबाईल पर प्राप्त OTP दर्ज किया जायेगा, के उपरांत आवेदक को सामान्य विवरण प्रदर्शित हो जाएगा।

(iii) इसके बाद खेती का स्थान, भूमि का विवरण, प्रभेद का चयन (आवेदक द्वारा केवल एक प्रभेद का चयन किया जायेगा) एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को आवेदन संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा एवं निबंधित मोबाईल पर SMS भी प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात् आवेदन स्वतः चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित चीनी मिल के सुपरवाईजर एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।

5.6.3 सिंगल बड प्लान्टलेट्स–

(i) सर्वप्रथम सिंगल बड प्लान्टलेट्स टैब पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा।

(ii) आवेदन प्रपत्र में गन्ना आई. डी. को अंकित कर SUBMIT बटन पर क्लिक करने पर निबंधित मोबाईल पर प्राप्त OTP दर्ज किया जायेगा, के उपरांत आवेदक को सामान्य विवरण प्रदर्शित हो जाएगा।

(iii) इसके बाद खेती का स्थान, भूमि का विवरण, प्रभेद का चयन एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को आवेदन संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा एवं निबंधित मोबाईल पर SMS भी प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात् आवेदन स्वतः चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित चीनी मिल के सुपरवाईजर एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा

6. आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया–

6.1 आधार गन्ना बीज उत्पादन –

(i) आवेदक द्वारा आवेदन सबमिट करने के उपरांत आवेदन सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ii) सहायक निदेशक (ईख विकास) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न सभी अभिलेखों एवं दस्तावेजों का विधिवत परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा।

(iii) दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत, पात्र पाए जाने पर आवेदन को स्वीकृत तथा पात्र नहीं पाये जाने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जायेगा।

(iv) प्रजनक बीज के आवंटन हेतु स्वीकृत आवेदन स्वतः ईखायुक्त, बिहार (एडमिन लॉगिन) को अग्रसारित हो जायेगा।

(v) सहायक निदेशक, ईख विकास के अनुशंसा के आलोक में ईखायुक्त, बिहार द्वारा ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में प्रभेदवार उपलब्धता के आधार पर प्रजनक बीज का आवंटन किया जाएगा।

(vi) बीज आवंटन के उपरांत चालान निर्गत सहित अन्य प्रक्रिया के निष्पादन हेतु आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को वापस कर दिया जायेगा।

(vii) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में आवंटित प्रजनक बीज उठाव हेतु चालान निर्गत किया जायेगा। चालान निर्गत होते ही इसकी सूचना आवेदक एवं संबंधित अनुसंधान संस्थान को अपने लॉगिन में प्रदर्शित हो जायेगा।

(viii) निर्गत चालान में QR Code, बीज उठाव की Validity, संस्थान का नाम एवं उठाव का स्थल अंकित होगा।

(ix) आवेदक द्वारा निर्गत चालान होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बीज का उठाव एवं बुआई कर लिया जायेगा।

(x) बीज उठाव हेतु संबंधित उत्पादक के समक्ष आवेदक द्वारा चालान प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें अंकित QR Code को उत्पादक द्वारा स्कैन किया जायेगा।

(xi) चालान जिस उत्पादक के लिए निर्गत किया जाएगा, उसी उत्पादक को समस्त विवरण प्रदर्शित होगा, के आलोक में बीज की आपूर्ति की जाएगी।

(xii) आवेदक द्वारा बीज के बुआई के उपरांत अनुदान भुगतान हेतु पोर्टल के माध्यम से Claim for Subsidy के तहत संस्थान द्वारा उपलब्ध अभिश्रव को अपलोड किया जायेगा।

(xiii) इसके उपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय के जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस./ईख प्रसार पदाधिकारी (*संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्राधिकृत*) के द्वारा गन्ना सॉफ्ट मोबाईल एप के माध्यम से निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थल निरीक्षण

30/11/2026

Scanned with OKEN Scanner

कर आवेदन का अनुदान भुगतान की अनुशंसा के साथ संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।

(xiv) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अनुशंसा के आधार पर अपने स्तर पर सभी प्रविष्टियों के अवलोकन से संतुष्ट होकर अनुदान राशि का भुगतान उनके बैंक खाता में CFMS के माध्यम से ससमय कर दिया जायेगा एवं UTR अंकित किया जायेगा।

6.2 प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम –

(i) प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को प्रोत्साहन राशि देय होगा।

(ii) प्रोत्साहन राशि उन्हें ही देय होगा जिनके नाम से LIR (Last Inspection Report) निर्गत होगा।

(iii) प्रोत्साहन राशि का भुगतान बीज उत्पादक को केन केयर पोर्टल पर उपलब्ध अंतिम रूप से चयनित लाभुकों को वितरण किये गये बीज की मात्रा के आधार पर किया जायेगा।

(iv) सत्यापित गन्ना बीज पर प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगा, यह प्रावधान केवल प्रमाणित गन्ना बीज के लिए होगा।

(v) प्रोत्साहन राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

6.3 प्रमाणित/सत्यापित बीज अनुदान –

6.3.1 चीनी मिल क्षेत्र –

(i) किसान द्वारा आवेदन सबमिट करने के तत्पश्चात् चीनी मिल क्षेत्र में आवेदन स्वतः संबंधित चीनी मिल के सुपरवाईजर के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।

(ii) सुपरवाईजर के द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित आवेदनों की सभी जानकारी की जांच की जायेगी।

(iii) इस क्रम में आवेदक की सहमति से अगर अंकित की गई जानकारी में कोई सुधार/बदलाव करने की आवश्यकता हो तो उसे सुपरवाईजर द्वारा अपने लॉगिन से किया जा सकता है।

(iv) सुपरवाईजर द्वारा जांचोपरांत आवेदन में अभ्युक्ति अंकित करते हुए संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।

(v) संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाईजर के जांच के आधार पर आवेदन सही होने की स्थिति में उपलब्धता के अनुसार बीज का आवंटन कर आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेगें।

Scanned with OKEN Scanner

(vi) महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाईजर के जांच के आधार पर आवेदन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं रहने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।

(vii) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा महाप्रबंधक के अनुशंसा के आधार पर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।

(viii) आवेदन की स्वीकृति की स्थिति में बीज उठाव हेतु चालान निर्गत किया जायेगा।

(ix) निर्गत चालान में QR Code, बीज उठाव की Validity, बीज उत्पादक का नाम एवं उठाव का स्थल अंकित होगा।

(x) विशेष परिस्थिति में उठाव नहीं होने की स्थिति में Validity को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

(xi) चालान जिस उत्पादक के लिए निर्गत किया जाएगा, उसी उत्पादक को समस्त विवरण प्रदर्शित होगा, के आलोक में बीज की आपूर्ति की जाएगी।

(xii) आवेदक द्वारा निर्गत चालान होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बीज का उठाव एवं बुआई कर लिया जायेगा।

(xiii) आवेदक द्वारा उठाव किये गये बीज की बुआई के उपरांत अनुदान भुगतान हेतु पोर्टल के माध्यम से Claim for Subsidy की प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा।

(xiv) इसके उपरांत सत्यापन हेतु संबंधित सुपरवाईजर द्वारा गन्ना सॉफ्ट मोबाईल एप के माध्यम से निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थल निरीक्षण कर आवेदन को अनुदान भुगतान की अनुशंसा के साथ संबंधित महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।

(xv) संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाईजर के द्वारा जांचोपरान्त किये गये अनुशंसा के आधार पर अनुदान भुगतान हेतु आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।

(xvi) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा महाप्रबंधक के अनुशंसा के आधार पर अपने स्तर पर सभी प्रविष्टियों के अवलोकन से संतुष्ट होकर अनुदान भुगतान को स्वीकृत करते हुए लाभुक की सूची डाउनलोड किया जायेगा।

(xvii) तदोपरान्त आवेदक को उनके बैंक खाता में CFMS के माध्यम से अनुदान भुगतान ससमय कर दिया जायेगा।

30/7/2026

Scanned with OKEN Scanner

(viii) आवेदक को अनुदान भुगतान करने के उपरांत पोर्टल पर UTR नम्बर अंकित किया जायेगा ताकि आवेदक अपने लॉगिन से उन्हें प्राप्त अनुदान को सम्पुष्ट कर सके।

6.3.2 गैर चीनी मिल क्षेत्र –

(i) गैर चीनी मिल क्षेत्र की स्थिति में सुपरवाईजर के दायित्व का निष्पादन संबंधित कार्यालय के कर्मी यथा–जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस./ईख प्रसार पदाधिकारी (*संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्राधिकृत*) तथा महाप्रबंधक के स्थान पर कार्यालय कर्मी के द्वारा आवेदन सीधे संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।

(ii) इसके उपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से कार्यालय कर्मी के द्वारा अग्रसारित आवेदन के आलोक में आवेदन स्वीकृति एवं अनुदान भुगतान हेतु समस्त कार्रवाई का निष्पादन कंडिका–6.2.1 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

6.4 सिंगल बड प्लान्टलेट्स –

6.4.1 चीनी मिल क्षेत्र –

(i) किसान द्वारा आवेदन सबमिट करने के तत्पश्चात् चीनी मिल क्षेत्र में आवेदन स्वतः संबंधित चीनी मिल के सुपरवाईजर के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।

(ii) सुपरवाईजर के द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित आवेदनों की सभी जानकारी की जांच की जायेगी।

(iii) इस क्रम में आवेदक की सहमति से अगर अंकित की गई जानकारी में कोई सुधार/बदलाव करने की आवश्यकता हो तो उसे सुपरवाईजर द्वारा अपने लॉगिन से किया जा सकता है।

(iv) सुपरवाईजर द्वारा जांचोपरांत आवेदन में अभ्युक्ति अंकित करते हुए संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।

(v) संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाईजर के जांच के आधार पर आवेदन सही होने की स्थिति में उपलब्धता के अनुसार प्लान्टलेट्स का आवंटन कर आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेगें।

(vi) महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाईजर के जांच के आधार पर आवेदन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं रहने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(vii) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा महाप्रबंधक के अनुशंसा के आधार पर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।

(viii) आवेदन की स्वीकृति की स्थिति में सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) उठाव हेतु चालान निर्गत किया जायेगा।

(ix) निर्गत चालान में QR Code, सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) उठाव की Validity, नर्सरी का नाम एवं उठाव का स्थल अंकित होगा।

(x) विशेष परिस्थिति में उठाव नहीं होने की स्थिति में Validity को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

(xi) चालान जिस नर्सरी उत्पादक के लिए निर्गत किया जाएगा, उसी नर्सरी उत्पादक को समस्त विवरण प्रदर्शित होगा, के आलोक में सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) की आपूर्ति की जाएगी।

(xii) आवेदक द्वारा निर्गत चालान की तिथि से संबंधित स्थल से प्लान्टलेट्स का उठाव एवं बुआई अधिकतम 07 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) आवेदक द्वारा उठाव किये गये प्लान्टलेट्स की बुआई के उपरांत अनुदान भुगतान हेतु पोर्टल के माध्यम से Claim for Subsidy के तहत नर्सरी द्वारा उपलब्ध अभिश्रव को अपलोड किया जायेगा।

(xiv) इसके उपरांत सत्यापन हेतु संबंधित सुपरवाईजर द्वारा गन्ना सॉफ्ट मोबाईल एप के माध्यम से निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थल निरीक्षण कर आवेदन को अनुदान भुगतान की अनुशंसा के साथ संबंधित महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।

(xv) संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाईजर के द्वारा जांचोपरान्त किये गये अनुशंसा के आधार पर अनुदान भुगतान हेतु आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।

(xvi) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा महाप्रबंधक के अनुशंसा के आधार पर अपने स्तर पर सभी प्रविष्टियों के अवलोकन से संतुष्ट होकर अनुदान भुगतान को स्वीकृत करते हुए लाभुक की सूची डाउनलोड किया जायेगा।

(xvii) तदोपरान्त आवेदक को उनके बैंक खाता में CFMS के माध्यम से अनुदान भुगतान ससमय कर दिया जायेगा।

(xviii) आवेदक को अनुदान भुगतान करने के उपरांत पोर्टल पर UTR नम्बर अंकित किया जायेगा ताकि आवेदक अपने लॉगिन से उन्हें प्राप्त अनुदान को सम्पुष्ट कर सके।

Scanned with OKEN Scanner

6.4.2 गैर चीनी मिल क्षेत्र –

(i) गैर चीनी मिल क्षेत्र की स्थिति में सुपरवाईजर के दायित्व का निष्पादन संबंधित कार्यालय के कर्मी यथा–जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस./ईख प्रसार पदाधिकारी (*संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्राधिकृत*) तथा महाप्रबंधक के स्थान पर कार्यालय कर्मी के द्वारा आवेदन सीधे संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।

(ii) इसके उपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से कार्यालय कर्मी के द्वारा अग्रसारित आवेदन के आलोक में आवेदन स्वीकृति एवं अनुदान भुगतान हेतु समस्त कार्रवाई का निष्पादन कंडिका–6.4.1 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

7. अनुदान/प्रोत्साहन दर –

क्र0सं0	अवयव	अनुदान/प्रोत्साहन राशि
1	न्यूक्लियस गन्ना बीज एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन	2.50 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर
2	आधार बीज उत्पादन	70,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर
3	प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन	70/– रू0 प्रति क्वींटल
4	प्रमाणित/सत्यापित बीज क्रय अनुदान	**सामान्य–** 260/– रू0 प्रति क्वींटल **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति–** 310/– रू0 प्रति क्वींटल
5	सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) पद्धति से खेती पर अनुदान	15,000/– रू0 प्रति एकड़

8. अवयवार अनुदेश –

8.1 <u>न्यूक्लियस गन्ना बीज एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम</u> –

(i) न्यूक्लियस गन्ना बीज एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा किया जाएगा।

(ii) प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संबंधित ईख अनुसंधान संस्थान द्वारा पूर्व प्राप्ति रसीद (Pre-Receipt Bill) एवं गत वर्ष का व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा।

(iii) संस्थान द्वारा समर्पित पूर्व प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत राशि के अधीन अनुमान्य राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

(iv) संबंधित संस्थान के द्वारा प्रजनक गन्ना का अनुश्रवण प्रतिवेदन (Monitoring Report), व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) न्यूक्लियस एवं प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का अनुश्रवण संबंधित उप/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

8.2 आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम –

(i) राज्य में गुणवत्तापूर्ण नवीन प्रभेदों के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

(ii) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर एवं ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से क्रय किए गए प्रजनक बीज से आधार बीज उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि देय होगा।

(iii) राज्य में आधार बीज का उत्पादन चीनी मिलों/कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK)/प्रगतिशील कृषकों के द्वारा किया जायेगा।

(iv) चीनी मिल अपने अथवा लीज पर लिए गए प्रक्षेत्र पर आधार बीज उत्पादन कर सकेगें।

(v) चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र में लगाए गए आधार बीज का पर्यवेक्षण संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा कराना आवश्यक होगा।

(vi) आधार बीज का प्रमाणिकरण बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) से कराना अनिवार्य होगा।

(vi) प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज पौधशाला के खेत/फार्म गेट पर डिस्प्ले बोर्ड में निम्न सूचना अंकित किया जायेगा– 1. प्रक्षेत्र का नाम 2. उप प्रक्षेत्र का नाम 3. गन्ना रकवा का विवरण 4. लगायी गयी बीज का प्रकार (प्रजनक/आधार/प्रमाणित) 5. बीज का स्रोत 6. प्रभेद का नाम 7. बुवाई की तिथि एवं प्लॉट का रकवा चौहद्दी के साथ 8. संभावित कटनी की तिथि।

8.3 प्रमाणित/सत्यापित बीज अनुदान –

(i) इस योजनांतर्गत प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज के क्रय पर सामान्य वर्ग के किसानों को 260/– रू0 प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 310/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय होगा।

30/7/026

Scanned with OKEN Scanner

8.4 सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) पद्धति से खेती पर अनुदान –

(i) इस योजना का मुख्य उद्देश्य यथा– बीज दर में कमी, अंकुरण की क्षमता में वृद्धि, कल्ला एवं पेराई योग्य गन्नों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, खेती की लागत में कमी एवं आमदनी में वृद्धि करना है।

(ii) इस योजनांतर्गत सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) पद्धति से गन्ना रोपाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित दर से अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।

9. आवेदन प्राप्ति से अनुदान भुगतान तक की गतिविधि हेतु समय–सारिणी –

क्र0 सं0	गतिविधि	वर्षाकालीन सीजन हेतु अधिकतम समय–सीमा	शरदकालीन सीजन हेतु अधिकतम समय–सीमा	वसंतकालीन सीजन हेतु अधिकतम समय–सीमा
1	आवेदन प्राप्ति	विभाग द्वारा निर्धारित	विभाग द्वारा निर्धारित	विभाग द्वारा निर्धारित
2	सत्यापन / बीज आवंटन / चालान निर्गमन	30 अगस्त, 2026	05 नवम्बर, 2026	10 फरवरी, 2027
3	बीज उठाव एवं बुआई	15 सितम्बर, 2026	20 नवम्बर, 2026	25 फरवरी, 2027
4	बुआई उपरांत भौतिक सत्यापन	15 अक्टूबर, 2026	20 दिसम्बर, 2026	10 मार्च, 2027
5	अनुदान स्वीकृति एवं भुगतान	10 नवम्बर, 2026	10 जनवरी, 2027	20 मार्च, 2027

नोट– स्थानीय परिस्थिति के अनुसार समय सारिणी में आवश्यक परिवर्तन ईखायुक्त, बिहार के द्वारा किया जा सकेगा।

10. पदेन कर्त्तव्य एवं दायित्व–

10.1 ईख प्रसार पदाधिकारी / जनसेवक / कामदार / एम.टी.एस.

(i) स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार कर इच्छुक कृषकों से ऑनलाईन आवेदन करवाना।

(ii) योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित अवधि में सत्यापन कर अनुशंसा के साथ सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित करना।

(iii) योजनांतर्गत गन्ना बीज उत्पादन एवं गन्ना फसल की स्थिति हेतु लाभुकों के खेत का निरीक्षण करना।

10.2 महाप्रबंधक, चीनी मिल

(i) स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार कर इच्छुक कृषकों से ऑनलाईन आवेदन करवाना।

(ii) योजनांतर्गत सभी अवयवों में प्राप्त आवेदनों के ससमय सत्यापन हेतु संबंधित को निदेशित करना।

30/7/2026

Scanned with OKEN Scanner

(v) योजना के कार्यान्वयन में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को आवश्यक सहयेाग प्रदान करना एवं इस हेतु विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठक में भाग लेना।

10.3 सहायक निदेशक, ईख विकास

(i) योजना का अनुदेश के अनुरूप ससमय कार्यान्वयन कराना।

(ii) योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप ससमय आवेदन प्राप्ति, लाभुक का चयन एवं अनुदान का भुगतान संबंधी कार्य का निष्पादन।

(iii) अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को आवेदन के निस्तारण हेतु लक्ष्य आवंटित करना एवं उनके कार्यो तथा लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करना।

(iv) संबंधित चीनी मिल, अनुसंधान संस्थान, बीज उत्पादक से समन्वय करना एवं योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्या का ससमय निराकरण करना/कराना।

(v) योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार कराना।

(vi) योजनांतर्गत सभी अवयवों में प्राप्त आवेदनों के ससमय सत्यापन हेतु संबंधित को निदेशित करना।

(vii) आवेदन की स्वीकृति एवं अनुदान भुगतान संबंधी कार्य का ससमय निष्पादन करना।

(viii) प्रजनक बीज फार्म का स्थलीय जांच समय–समय पर किया जायेगा एवं फसल के स्थिति सहित जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

(ix) प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज क्रय अनुदान एवं सिंगल बड (सेटलिंग) अवयव अंतर्गत न्यूनतम 10 प्रतिशत मामलों की जांच करना।

(x) त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज के बीज उत्पादकों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत मामलों की जांच करना।

10.4 उप निदेशक, ईख विकास

(i) योजना के प्रगति का पाक्षिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही मुख्यालय को उपलब्ध कराना।

(ii) योजना के तहत विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।

(iii) प्रजनक बीज फार्म का स्थलीय जांच समय–समय पर किया जायेगा एवं फसल के स्थिति सहित जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। इस जांच में उप निदेशक, ईख

30/7/24

Scanned with OKEN Scanner

विकास कार्यालय में पदस्थापित सहायक निदेशक, कीटविद् एवं व्याधिविद् तथा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक को भी शामिल किया जायेगा।

(iv) प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज क्रय अनुदान एवं सिंगल बड (सेटलिंग) अवयव अंतर्गत न्यूनतम 03 प्रतिशत मामलों की जांच करना।

(v) त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज के बीज उत्पादकों में से न्यूनतम 03 प्रतिशत मामलों की जांच करना।

10.5 संयुक्त निदेशक, ईख विकास एवं प्रभारी सहायक निदेशक (शष्य)

(i) मुख्यालय स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु संयुक्त निदेशक, ईख विकास नोडल पदाधिकारी तथा इस योजना के प्रभारी सहायक निदेशक (शष्य) उप नोडल पदाधिकारी होगें।

(ii) योजना का समय-समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।

(iii) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।

(iv) केन केयर पोर्टल पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण करना एवं आने वाले समस्याओं का एन.आई.सी. से समन्वय कर ससमय निराकरण कराना।

(v) योजना के ऑनलाईन दैनिक/साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन को ईखायुक्त, बिहार एवं सचिव, गन्ना उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना।

(vi) योजना का समय-समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

10.6 जिला पदाधिकारी

(i) टास्क फोर्स की बैठक में योजना की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(ii) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन करना।

10.7 ईखायुक्त

(i) मुख्यालय स्तर पर योजना के प्रगति की समीक्षा करना एवं योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

(ii) योजना के कार्यान्वयन हेतु विहित प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में यथासमय निदेश दिया जायेगा।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–236/2026 239 स्वी० /लल पटना, दिनांक– 08 जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु कुल 3793.05 लाख रू0 (सैतीस करोड़ तिरानवें लाख पाँच हजार रूपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 3793.05 लाख रू0 (सैतीस करोड़ तिरानवें लाख पाँच हजार रूपये) मात्र रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना फसल के विकास के फलस्वरूप किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–2 "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" के तहत वर्तमान में कार्यरत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना/पुनरूद्धार के दृष्टिगत गन्ना की पर्याप्त उपलब्धता हेतु राज्य में गन्ना का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए उन्नत प्रभेदों को व्यापक पैमाने पर अपनाने हेतु बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गन्ना बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन्ही आवश्यकताओं के दृष्टिगत् यह कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** तथा कार्यालयवार स्वीकृत योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिलों के माध्यम से किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। **परिशिष्ट–3** में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक होगा। योजना कार्यान्वयन में वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व संयुक्त निदेशक, ईख विकास की होगी।

(5) इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन/अनुदान की राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित चीनी मिल के प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

8/7/2026

(6) उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय–समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के शत प्रतिशत जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगें। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल संयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेगें। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ईख विकास की सभी योजनाओं का समीक्षा समय–समय पर किया जा सकेगा। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा एवं ईखायुक्त योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम सं0	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू0)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109	33 01 सब्सिडी	12818.50	3136.85
2.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007890108	33 01 सब्सिडी	2480.00	606.888
3.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष– 0129 –ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007960129	33 01 सब्सिडी	201.50	49.312
	योग–		**15500.00**	**3793.05**

(9). इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(10). योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(11). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(12) यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561(वि॰)2 दि0–17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(13) योजना के संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2 (क) के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–01.07.2026 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की कंडिका–23 पर प्राप्त है, जो संचिका के पृ0–19/टि0 पर रक्षित है।

(14) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–236/2026 के पृष्ठ सं0–22/टि० पर प्राप्त है।

(15) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास–यो0–236/2026 के पृष्ठ सं0–24/टि० पर प्राप्त है।

(16) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

<u>अनुलग्नक–यथोक्त:</u>

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–236/2026– 239 स्वी०/cc पटना, दिनांक– 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–236/2026– 239 स्वी०/cc पटना, दिनांक– 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के०भी०के०/राज्य के कृषि विश्वविघालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–236/2026– 239 स्वी०/cc पटना, दिनांक– 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–236/2026– 239 स्वी०/cc पटना, दिनांक– 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना "

वित्तीय वर्ष 2026–27 का स्वीकृत कार्य योजना

क्र0सं0	कार्य अवयव	अनुदान दर/अधिकतम सीमा (दोनों में से जो कम हो)		ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		सामान्य	अनु0 जाति/ अनु0जन जाति			
1	2	3	4	5	6	7
1	गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उत्पादन –					
1.1	न्यूक्लियस गन्ना बीज का उत्पादन एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि	2.50 लाख प्रति हे0		हे0	105	262.50
1.2	आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि	70,000 रू0 प्रति हे0		हे0	800	560.00
1.3	प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम	70 रू0 प्रति क्वींटल		क्वी0	700000	490.00
	योग (1) –					**1312.50**
2	गन्ना बीज (सेट/सेटलिंग) वितरण पर अनुदान –					
2.1	प्रमाणित/सत्यापित बीज (सेट)	260 रू0/क्वींटल	310 रू0/क्वींटल	क्वी0	700000	1880.55
2.2	सिंगल बड (सेटलिंग)	अधिकतम 15,000 रू0 प्रति एकड़		एकड़	4000	600.00
	योग (2) –					**2480.55**
	Total (1+2) -					**3793.05**

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–2 (पृ0–1)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " का कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)																							
			न्यूक्लियस गन्ना बीज एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 2.50 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर								आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 70,000 रू0 प्रति हेक्टेयर								प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 70 रू0 प्रति क्वींटल							
			सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग	
			भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लौरिया	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	250	175.00000	0	0.00000	0	0.00000	250	175.00000	174035	121.82500	33775	23.64300	2190	1.53200	210000	147.00000
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	मंझौलिया/नरकटियागंज	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	100	70.00000	0	0.00000	0	0.00000	100	70.00000	70200	49.14000	13970	9.77900	830	0.58100	85000	59.50000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	60	42.00000	0	0.00000	0	0.00000	60	42.00000	8700	6.09000	1700	1.19000	100	0.07000	10500	7.35000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	सिधवलिया/विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	100	70.00000	0	0.00000	0	0.00000	100	70.00000	120000	84.00000	23000	16.10000	2000	1.40000	145000	101.50000
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	80	56.00000	0	0.00000	0	0.00000	80	56.00000	26800	18.76000	5200	3.64000	500	0.35000	32500	22.75000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	100	70.00000	0	0.00000	0	0.00000	100	70.00000	128000	89.60000	25000	17.50000	2000	1.40000	155000	108.50000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	10	7.00000	0	0.00000	0	0.00000	10	7.00000	2000	1.40000	350	0.24500	50	0.03500	2400	1.68000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	40	28.00000	0	0.00000	0	0.00000	40	28.00000	23100	16.17000	4500	3.15000	400	0.28000	28000	19.60000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	10	7.00000	0	0.00000	0	0.00000	10	7.00000	2500	1.75000	500	0.35000	0	0.00000	3000	2.10000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	20	14.00000	0	0.00000	0	0.00000	20	14.00000	5800	4.06000	1100	0.77000	100	0.07000	7000	4.90000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	3300	2.31000	700	0.49000	0	0.00000	4000	2.80000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	2500	1.75000	500	0.35000	0	0.00000	3000	2.10000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	3800	2.66000	730	0.51100	70	0.04900	4600	3.22000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	1650	1.15500	300	0.21000	50	0.03500	2000	1.40000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	1700	1.19000	300	0.21000	0	0.00000	2000	1.40000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.50000	5000	3.50000	1000	0.70000	0	0.00000	6000	4.20000
17	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
18	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
19	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
20	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	–	68	170.00000	34	85.00000	3	7.50000	105	262.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
	योग–		68	170.00000	34	85.00000	3	7.50000	105	262.50000	800	560.00000	0	0.00000	0	0.00000	800	560.00000	579085	405.36000	112625	78.83800	8290	5.80200	700000	490.00000

परिशिष्ट–2 (पृ0–2)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " का कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)																कुल योग			
			प्रमाणित/सत्यापित बीज क्रय अनुदान 260 रू0/क्वींटल (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु 310 रू0/क्वींटल)								सिंगल बड (सेटलिंग) पद्धति से खेती पर अनुदान @ 15,000 रू0 प्रति एकड़ (10000 पौध प्रति एकड़)											
			सामान्य @ 260 रू0		अनु0 जाति @ 310 रू0		अनु0 जनजाति @ 310 रू0		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
			भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लौरिया	173850	452.01000	33030	102.39300	3120	9.67200	210000	564.07500	703	105.45000	122	18.30000	25	3.75000	850	127.50000	854.28500	144.33600	14.95400	1013.57500
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	मंझौलिया/नरकटियागंज	70200	182.52000	13970	43.30700	830	2.57300	85000	228.40000	331	49.65000	69	10.35000	0	0.00000	400	60.00000	351.31000	63.43600	3.15400	417.90000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	8700	22.62000	1700	5.27000	100	0.31000	10500	28.20000	165	24.75000	32	4.80000	3	0.45000	200	30.00000	95.46000	11.26000	0.83000	107.55000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	सिधवलिया/विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	120000	312.00000	23000	71.30000	2000	6.20000	145000	389.50000	538	80.70000	104	15.60000	8	1.20000	650	97.50000	546.70000	103.00000	8.80000	658.50000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	26800	69.68000	5200	16.12000	500	1.55000	32500	87.35000	165	24.75000	32	4.80000	3	0.45000	200	30.00000	169.19000	24.56000	2.35000	196.10000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	128000	332.80000	25000	77.50000	2000	6.20000	155000	416.50000	455	68.25000	88	13.20000	7	1.05000	550	82.50000	560.65000	108.20000	8.65000	677.50000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	2000	5.20000	350	1.08500	50	0.15500	2400	6.44000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	26.05000	3.88000	0.19000	30.12000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	23100	60.06000	4500	13.95000	400	1.24000	28000	75.25000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	116.68000	19.65000	1.52000	137.85000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	2500	6.50000	500	1.55000	0	0.00000	3000	8.05000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	27.70000	4.45000	0.00000	32.15000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	5800	15.08000	1100	3.41000	100	0.31000	7000	18.80000	288	43.20000	56	8.40000	6	0.90000	350	52.50000	76.34000	12.58000	1.28000	90.20000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	3300	8.58000	700	2.17000	0	0.00000	4000	10.75000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	26.84000	5.21000	0.00000	32.05000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	2500	6.50000	500	1.55000	0	0.00000	3000	8.05000	41	6.15000	9	1.35000	0	0.00000	50	7.50000	17.90000	3.25000	0.00000	21.15000
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	3800	9.88000	800	2.48000	0	0.00000	4600	12.36000	41	6.15000	9	1.35000	0	0.00000	50	7.50000	22.19000	4.34100	0.04900	26.58000
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	1650	4.29000	350	1.08500	0	0.00000	2000	5.37500	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	21.39500	3.84500	0.03500	25.27500
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	–	1700	4.42000	300	0.93000	0	0.00000	2000	5.35000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	21.56000	3.69000	0.00000	25.25000
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	5000	13.00000	1000	3.10000	0	0.00000	6000	16.10000	84	12.60000	16	2.40000	0	0.00000	100	15.00000	32.60000	6.20000	0.00000	38.80000
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	170.00000	85.00000	7.50000	262.50000
	योग–		578900	1505.14000	112000	347.20000	9100	28.21000	700000	1880.55000	3309	496.35000	639	95.85000	52	7.80000	4000	600.00000	3136.85000	606.88800	49.31200	3793.05000

ईखायुक्त, बिहार

परिशिष्ट–'3'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लौरिया	854.28500	144.33600	14.95400	1013.57500	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	मंझौलिया/नरकटियागंज	351.31000	63.43600	3.15400	417.90000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	95.46000	11.26000	0.83000	107.55000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	सिधवलिया/विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	546.70000	103.00000	8.80000	658.50000	कोषागार , गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	169.19000	24.56000	2.35000	196.10000	कोषागार, सीतामढ़ी
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	560.65000	108.20000	8.65000	677.50000	कोषागार, समस्तीपुर
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	26.05000	3.88000	0.19000	30.12000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	116.68000	19.65000	1.52000	137.85000	कोषागार, सिवान
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	27.70000	4.45000	0.00000	32.15000	कोषागार, भागलपुर
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	76.34000	12.58000	1.28000	90.20000	कोषागार, दरभंगा
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	26.84000	5.21000	0.00000	32.05000	कोषागार, सहरसा
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	17.90000	3.25000	0.00000	21.15000	कोषागार, पूर्णियाँ
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	22.19000	4.34100	0.04900	26.58000	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	21.39500	3.84500	0.03500	25.27500	कोषागार, आरा (भोजपुर)
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	–	21.56000	3.69000	0.00000	25.25000	कोषागार, गयाजी
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	32.60000	6.20000	0.00000	38.80000	कोषागार, पटना
17	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	कोषागार, पटना
18	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
19	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	कोषागार, समस्तीपुर
20	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग		170.00000	85.00000	7.50000	262.50000	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	योग–	–	3136.85000	606.88800	49.31200	3793.05000	

ईखायुक्त, बिहार।